न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 65/1986
श्रीमती तैरा बनाम शोहराव

23.09.2017

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 160क2 के निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र 160क2 वादी द्वारा इस आशय का दिया गया है कि वादपत्र में कुछ टाइप की गलतियां हैं। इसके अतिरिक्त वादपत्र में कुछ तथ्य टाइप करने से छूट गए हैं, जिनको संशोधन प्रार्थनापत्र के माध्यम से संशोधित किया जाना आवश्यक है। मुकदमे में असल विवाद को तय करने के लिए भी वादपत्र में संशोधन किया जाना आवश्यक है। तरमीम तलब के तथ्यों की जानकारी गवाही की तैयारी के सिलसिले में दिनांक 06.09.2016 को हुई है। इसी कारण संशोधन प्रार्थनापत्र इसके पूर्व नहीं दिया जा सका।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज सं0 162ग2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से वादीगण एक नया केस सेटअप करना चाहते हैं, जो उनके लिए 30 साल की अवधि व्यतीत होने के बाद इस स्तर पर ओपेन नहीं है। कथन वादी कि उन्हें तीस साल बाद पता चला है कि विवादित दस्तावेज बैनामा का इम्पोस्टर कौन है, सही नहीं है। जिस व्यक्ति को इम्पोस्टर के रूप में वादीगण सेटअप करना चाहते हैं, वह जीवित नहीं है। रामबेलास कथित इम्पोस्टर का केस वादीगण रामबेलास की मृत्यु के बाद सेटअप करके एक जटिलता उत्पन्न करना चाहते हैं। प्रस्तुत संशोधन स्वीकृत होने से वाद की प्रकृति बदल जाएगी। प्रस्तावित संशोधन आफ्टर थाट है और पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र हर प्रकार से खारिज होने योग्य है।

वादिनी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में निम्नलिखित सम्मानित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया–

01- South Konkan Distilleries & another Vs. Prabhakar Gajanan Naik & others, AIR S.C. 1177
02- Estralla Rubber Vs. Dassestate (P) Ltd., 2002 ACJ 168
03- Pankaja & another Vs. Yellappa (D) by LRs. & others, AIR 2004 S.C. 4102
04- M/s. Chakreshwari Construction Pvt. Ltd. Vs. Manohar Lal, 2017 (136) RD 704

प्रतिवादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में निम्नलिखित सम्मानित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया–

01- Ramagya Singh Vs. Dr. Bhanu Prakash Srivastava & another, 1978 ALR 513
02- J. Samuel & others Vs. Gattu Mahesh & others, 2015 (115) RD 533

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र के माध्यम से वादी सेजरा खानदान एवं उससे संबंधित रिश्तेदारी तथा तत्संबंधी संशोधन करने के आशय से दिया गया है। उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि मात्र विलम्ब के आधार पर संशोधन प्रार्थनापत्र को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। संशोधन प्रार्थनापत्र पर विचार करते समय न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा वाद के प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक सभी संशोधन स्वीकार किए जाने चाहिए। उपरोक्त के विरूद्ध प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्था का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया कि संशोधन प्रार्थनापत्र विलम्ब से दिया गया है। वादी का यह कहना गलत है कि लिपिकीय त्रुटि से हुई भूल के सुधार हेतु दिया जा रहा है। संशोधन से स्वीकृति वापस ली जा रही है। वाद की प्रकृति बदल रही है। अतः संशोधन खारिज किया जाना चाहिए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के उपरोक्त तर्कों एवं सम्मानित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में पत्रावली का परिशीलन किया। वादी द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र के जरिए वादपत्र के सेजरा खानदान में संशोधन किया जा रहा है तथा वंशवृक्ष में दर्शित व्यक्तियों के आपसी संबंधों के बाबत अभिवचन

स्पष्ट किया जा रहा है। संशोधन प्रार्थनापत्र के जरिए वादपत्र के पैरा 5 में कथित फर्जी व्यक्ति को स्पष्ट करते हुए उसका नाम समावेशित किए जाने हेतु संशोधन चाहा गया है। प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन हो रहा है, न ही कोई नया केस सेटअप हो रहा है और न ही कोई स्वीकृति वापस ली जा रही है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से पक्षकारों के बीच विवादित वास्तविक विवाद विषय के गुणदोष के आधार पर निर्णय करने में सहूलियत होगी। चूंकि विलम्ब के बाबत प्रतिवादी की उठायी गयी आपत्ति महत्वपूर्ण है। किन्तु उसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 160क2 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 160क2 मु0 100/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर दस दिन करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 11.10.2017 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती